न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्र0क0 2127–दो/2014 विरूध्द आदेश दिनांक 9–7–2014 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी जैतपुर जिला शहडोल म0प्र0 प्र0 क0 2/अपील/2011–12.

रामेश्वर प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री जगन्नाथ गुप्ता
निवासी ग्राम टेंघा तहसील जैतपुर, शहडोल
हाल – कोरजा रोड काली मंदिर के पास,
बिजुरी जिला अनूपपुर म0प्र0

—— आवेदक

विरूध्द

उर्मिला गुप्ता आत्मज रामसखे,
निवासी ग्राम टेंघा तहसील जैतपुर
जिला शहडोल म0प्र0

—— अनावेदिका

– – –

श्री आ0डी0 शर्मा, अभिभाषक– आवेदक
श्री राम रहीस राव, अभिभाषक–अनावेदिका

– – –

आदेश

(आज दिनांक 12 नवम्बर–2014 को पारित)

– – –

यह निगरानी आवेदक व्दारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी जैतपुर जिला शहडोल के प्रकरण कमांक 2/अपील/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 9–7–2014 से अन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक ने ग्राम टैंघा पटवारी हल्का रूपौला स्थित भूमि खसरा नम्बर 798/2, 1262, 1263, 1264, 1899, 1901, 1902, 1883, 1887, 1889, 1890, 1906, 2165, 1882 एवं 1883 रकबा कमशः 0.040, 0.299, 0.450, 0.198, 0.016, 0.117, 0.348, 0.134, 0.142, 0.065, 0.097, 7.758, 0.040, 0.324 पर वसयीत के आधार पर नायब तहसीलदार जैतपुर ने नामांतरण पंजी कमांक 10 एवं 11 में पारित आदेश दिनांक 30–1–94 के द्वारा आवेदक के पक्ष में नामांतरण किया गया। नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 30–1–1994 के विरूद्ध प्रथम अपील अनावेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 19–7–11 को प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने अंतरिम आदेश दिनांक 31–7–12 के द्वारा अनावेदिका द्वारा प्रस्तुत अपील को समयावधि में मान्य कर प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया। आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 31–7–12 के विरूद्ध राजस्व मण्डल में निगरानी प्र0क0 2730–दो/12 प्रस्तुत की गई। मण्डल के आदेश दिनांक 5–2–13 द्वारा प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देकर बोलता हुआ आदेश पारित किया जाये।

प्रत्यावर्तन आदेश के पालन में अनुविभागीय अधिकारी जैतुपर द्वारा पुनः उभय पक्षों को सुनवाई अवसर देकर म्याद के बिन्दु पर अपने अंतरिम आदेश दिनांक 9–7–14 से अपील को समयावधि में मान्य कर प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदनों एवं शपथ पत्र पर विचार किये बिना 17 वर्ष का विलम्ब क्षमा करने में त्रुटि की है। उनका यह भी तर्क है कि जो व्यक्ति अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं है, सक्षम न्यायालय की स्पष्ट अनुमति के

बिना उसे अपील पेश करने की अधिकारिता नहीं है। तर्क में यह भी कहा कि आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष उठाये गये आधारों पर किसी प्रकार कोई स्पष्ट कारण दर्शाकर आदेश पारित नहीं किया गया। आवेदक अभिभाषक का यह भी तर्क है कि विवादित भूमि रामसखे की स्वअर्जित सम्पत्ति थी, जिसकी उसे हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 30 के अनुसार वसीयत करने का अधिकार था। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के पक्ष में स्व0 रामसखे द्वारा वसीयत की गई थी जिसके आधार पर उसके पक्ष में नामांतरण आदेश पारित किया गया है, जो उचित है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–7–14 निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक अभिभाषक द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्क में मुख्य रूप आधार उठाये हैं कि नामांतरण कार्यवाही में मृतक रामसखे की पुत्री होने से हितधारी थी, परन्तु अनावेदिका को किसी प्रकार सूचना ही नहीं दी गई। अतः हितधारी व्यक्ति को अपील प्रस्तुत करने का हक है। उनका यह भी तर्क है कि जब अनावेदिका को हितबद्ध पक्षकार होते हुये भी न तो पक्षकार बनाया गया और न ही किसी प्रकार की सूचना दी गई थी अतः जानकारी के दिनांक से उसके द्वारा प्रस्तुत धारा 5 का आवेदन को स्वीकार कर अपील को समय–सीमा में मान्य करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उचित कार्यवाही की गई है। अंत में तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक द्वारा किसी भी न्यायालय में वसीयत प्रस्तुत नहीं की गई है और 7 वर्ष बाद वसीयत के आधार पर किया गया नामांतरण संदेहास्पद हो जाता है। अतः निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्षों के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेखों का अवलोकन किया गया। यह निर्विवादित है कि विवादित भूमि का रिकार्डेड भूमिस्वामी स्व0 रामसखे था। अधिनस्थ न्यायालय में संलग्न पंचनामा,

सरपंच ग्राम पंचायत टेंघा के प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेजों से यह सिद्ध होता है कि अनावेदिका उर्मिला गुप्ता मृतक रामसखे गुप्ता की एकलौती संतान है। आवेदक अभिभाषक का यह तर्क मान्य नहीं किया जा सकता है कि अनावेदिका प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार नहीं है और न ही उसे अपील करने की अधिकारिता थी। मृतक रामसखे गुप्ता की एकलौती संतान होने एवं हितधारी होने से उसे अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की अधिकारिता थी। नामांतरण पंजी के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदिका को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है, अतः अनावेदिका द्वारा जानकारी दिनांक से अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा समय–सीमा में मान्य किया है, जिसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण को समय–सीमा में मान्य किया है और अधीनस्थ न्यायालय में अभी प्रकरण के गुण–दोषों पर निराकरण होना है, अतः इस प्रकरण में गुण–दोष पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। दर्शित परिस्थितियों में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 9–7–2014 वैधानिक दृष्टि से उचित प्रतीत होता है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अनुविभागीय अधिकारी जैतपुर जिला शहडोल द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–7–2014 स्थिर रखा जाता है।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल, म0प्र0,
ग्वालियर